अध्याय-15

विभिन्न अभिलेख तैयार करने की लागत

विभिन्न पट्टा अभिलेखों को तैयार करने के लिए भावी पट्टाधारक या लाइसेंस धारक से निम्न लागत वसूली जाएगी:-

(i)	पट्टा अनुबंध	30/- रुपए
(ii)	सर्वकालिक पट्टा	30/- रुपए
(iii)	घास काटने के लिए	30/- रुपए
	अस्थाई पट्टा	5/- रुपए
(iv)	लाइसेंस विलेख 'अधिकार'	30/- रुपए
	'अन्य मामले'	
(v)	अनुपूरक पट्टा	5/- रुपए

पट्टाधारकों या लाइसेंस धारक को विभिन्न पट्टा अभिलेखों की अतिरिक्त प्रमाणित प्रतियों की प्राप्ति के लिए निम्न लागत का भुगतान करना होगा:-

(i)	पट्टा अनुबंध	40/- रुपए
(ii)	सर्वकालिक पट्टा	40/- रुपए
(iii)	विशिष्ट स्थान का साइट प्लान	5/- रुपए
(iv)	अनुपूरक पट्टा	5/- रुपए
		(प्रत्येक प्रति हेतु)

जब कोई अभिलेख तैयार किया जाता है और भावी पट्टाधारक को निष्पादन के लिए भेजा जाता है और उससे वह अभिलेख खो जाता है या वह इसे इस अनुरोध के साथ वापस करता है कि पट्टा उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर बना दिया जाए और ऐसे अनुरोध को स्वीकार कर लिया जाता है या पूर्व में तैयार अभिलेख उसे भेजा जाता है और उसके कारण

समय सीमा समाप्त होने से निरस्त हो जाता है, तो नए अभिलेख तैयार करने हेतु पट्टाधारक से निम्न लागत वसूली जाएगी:-

(i)	पट्टा अनुबंध/सर्वकालिक पट्टा/अस्थाई पट्टा/लाइसेंस डीड	....	50/- रुपए
(ii)	अनुपूरक पट्टा	....	10/- रुपए

जिस मामले में भूमि एवं विकास अधिकारी या अन्य सक्षम अधिकारी के क्रियान्वयन के बाद भावी पट्टाधारक या लाइसेंस धारक को अभिलेख पंजीकरण इत्यादि के लिए भेजा जाता है, अज़ैर भाव पट्टाधारक या लाइसेंस धारक के कारण समय सीमा समाप्त होने से निरस्त हो जाता है, तो नए अभिलेख तैयार करने हेतु पट्टाधारक से निम्न लागत वसूली जाएगी:-

(i)	पट्टा अनुबंध/सर्वकालिक पट्टा/अस्थाई पट्टा/लाइसेंस डीडः	अभिलेख पर देय स्टाम्प ड्यूटी का 25 % जो न्यूनतम रु. 50/- है
(ii)	अनुपूरक पट्टाः	अभिलेख पर देय स्टाम्प ड्यूटी का 25 % जो न्यूनतम रु. 10/- है

काले प्रपत्र उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक प्रति हेतु 6/- रु. (छः रुपये मात्र) के शुल्क की अदायगी पर प्रदान किए जाएंगे।

पट्टाधारक या भावी पट्टाधारक इत्यादि को सरकार द्वारा भेजे जाने वाले अंतरण के नियम व शर्तों के उल्लेख वाले पत्र के साथ संलग्न रिक्त प्रपत्र के लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा।